

अकादमी की माननीय शासी परिषद् के द्वारा लिये गये निर्णय दिनांकित 08.12.2019 के अनुसार अकादमी परिसर में अवस्थित हॉस्टल/गेस्ट हाऊस, केवल उन राज्यों के न्यायिक अधिकारीगण को निम्नवत् शुल्क पर प्रदान किया जा सकता है, जिन राज्यों की न्यायिक अकादमियों में ठहरने की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य के न्यायिक अधिकारियों को प्रदान की जाती है :-

क्र०स०	अध्यासियों की श्रेणी	दैनिक किराया		कक्षों का विवरण
		उत्तराखण्ड राज्य न्यायाधीशगण के लिए	अन्य राज्यों के न्यायाधीशगण के लिए	
1	(क) मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण। (ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीशगण।	रूपये. 750.00	रूपये .1500.00	अतिथि गृह प्रति सूईट
2	(क) मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।	रूपये. 450.00	रूपये. 1500.00	मैरिड हास्टल एक कक्ष
	(ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीशगण।	रूपये. 350.00	रूपये. 1200.00	न्यू हास्टल एक कक्ष
	(ग) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।	रूपये. 250.00	रूपये. 1000.00	ओल्ड हास्टल एक कक्ष
3	आवंटन प्राप्त व्यक्तियों के साथ आने वाले सेवक, चालक व गनर के लिए।	रूपये. 30.00	रूपये. 50.00	डोरमैट्री